राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 20 फरवरी, 1990

क्रमांक 169-ज-(2)-90/4508.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल श्री धारा सिंह, पुत्र श्री राम सिंह, गांव मदीना, तहसील महम, जिला रोहतक को रबी, 1963 से रबी, 1970 तक 100 रुपये खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 21 फरवरी, 1990

क्रमांक 156-ज-(II)-90/4659.—श्री बन्सी लाल, पुत्र श्री मोलड़, निवासी गांव मातनहेल, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1808-ज-II-73/326659, दिनांक 5 नवम्बर, 1973 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री बन्सी लाल की दिनांक 6 अक्तूबर, 1988 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री बन्सी लाल की विधवा श्रीमती राजकौर के नाम रबी, 1989 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 28 फरवरी, 1990

क्रमांक 1337-ज-(2)-89/5295.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्पाल श्री रखे राम, पुत्र श्री हयाली राम, गांव बालाबा, तहसील महम, जिला रोहतक को रबी 1975 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है ।

क्रमांक 268–ज (2)-90/5300.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती चांद कौर, विधवा श्री दरयाव सिंह, गांव खेड़ी आसरा, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को रबी, 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 150-ज-2-90/5304.—श्री चन्दू लाल, पुत्र श्री धन सिंह, निवासी गांव खेड़ी खुम्मार, तहसील झज्जर, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए), (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2442-ज-2-76/7834, दिनांक 31 जनवरी, 1977 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-3-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री चन्दू लाल की दिनांक 26 जुलाई, 1989 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री चन्दू लाल की विधवा श्रीमती चावली के नाम खरीफ, 1989 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

सागर मल,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।